2रु. कोर्ट फी Rs.2 COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

24

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल (म0प्र0) ग्वालियर (म0प्र0)(रीवा सर्किट कोर्ट रीवा)

20रु. कोर्ट फी Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

1– शंखी देवी पिता लल्ला प्रसाद पत्नी जमुना प्रसाद वैसवार निवासी ग्राम चतरी, तह0 चितरंगी, जिला सिंगरौली म0प्र0

2– लखरनिया देवी पिता लल्ला प्रसाद पत्नी छोटकउ बैसवार निवासी ग्राम गोरबी कुडवाटोला, तहसील चितंरगी, जिला सिंगरौली म0प्र0

3– फुलवसिया पिता लल्ला प्रसाद वैसवार पत्नी ज्ञानदत्त वैसवार निवासी ग्राम धिनहागॉव, तह0 देवसर, जिला सिंगरौली म0प्र0

4– द्वारिका प्रसाद पिता लल्ला प्रसाद वैसवार पत्नी ज्ञानदत्त वैसवार निवासी ग्राम धिनहागॉव, तह0 देवसर, जिला सिंगरौली म0प्र0

5– अमरजीत पिता सालिकराम वैसवार, निवासी मनिहारी, तह0 देवसर, जिला सिंगरौली म0प्र0

6– रामकुमार पिता द्वारिका प्रसाद वैसवार,

7– कुवर प्रसाद पिता द्वारिका प्रसाद वैसवार

8– लाल कुवर पिता द्वारिका प्रसाद वैसवार

9– अम्बिकेश प्रसाद पिता द्वारिका प्रसाद वैसवार

09 ता 09 निवासीगण ग्राम धिनहागॉव, तह0 देवसर, जिला सिंगरौली (म0प्र0)

10– प्रेमलाल पिता अमरजीत वैसवार

11– रामचन्द्र पिता अमरजीत वैसवार

12– जगदीश पिता अमरजीत वैसवार

10 ता 12 निवासी मनिहारी, तह0 देवसर, जिला सिंगरौली म0प्र0

------आवेदकगण

बनाम्

ज्ञानमती पिता लल्ला वैसवार पति रविचन्द्र वैसवार निवासी ग्राम धिनहागॉव तहसील देवसर, जिला सिंगरौली म0प्र0 ------अनावेदक

निगरानी विरूद्ध आदेश व निर्णय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी देवसर जिला सिंगरौली के

प्रकरण कमांक 156/अपील/2016–2017 में
पारित आदेश दिनांक 18.01.2018
अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू–राजस्व संहिता 1959

मान्यवर

प्रकरण के तथ्य

यह कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार देवसर वृत्त बरगवॉ, जिला सिंगरौली म0प्र0 के न्यायालय में आवेदक कमांक 04 व 05 की ओर से एक आवेदन पत्र आराजी खाता कमांक 197 कुल आराजी किता 22 कुल रकवा 9.310 हे0 स्थित ग्राम मनिहारी के बटवारा नामांतरण का प्रस्तुंत किया गया जिसमें तहसीलदार महोदय ने इश्तहार का प्रकाशन कर व पक्षकारो को तलब कर हल्का पटवारी से फर्द बटवारा पुल्ली प्रतिवेदन लेकर बटवारा आदेश दिनांक 11.05.2016 को पारित किया जिसकी विधिवत् जानकारी अनावेदिका को समय से ही थी किन्तु अनावेदिका द्वारा वाद की सोच के आधार पर 1 वर्ष, वाद अवधि बाह्य अपील प्रस्तुत की जिसके साथ प्रस्तुत म्याद माफी के आवेदन पत्र में जानकारी न होने झूॅठा व बनावटी अभिबचन करते हुए प्रस्तुत किया जो अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 18.01.2018 को स्वीकार कर म्याद माफी का आदेश पारित किया, जिससे परिवेदित होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

निगरानी के आधार निम्न है :–

1– यह कि अधीनस्थ न्यायालय महोदय का आदेश विधि एवं प्रकिया के विपरीत तथा प्रकरण में उपलब्ध तथ्यो तथा साक्ष्यो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2– यह कि उपखण्ड अधिकारी ने इस बिन्दु पर ध्यान नही दिया, कि आवेदिका को पारित आदेश दिनांक 11.05.2016 की जानकारी आदेश दिनांक को ही थी, तथा पिता स्व0 लल्ला प्रसाद की मृत्यु वर्ष 1997–98 से लेकर आज तक के सभी बातों व घटना कम के साथ सभी न्यायालयीन कार्यवाहियों की तथा न्यायालयीन प्रकरणो में पारित आदेशों की जानकारी अनावेदिका को थी, किन्तु तब उक्त चुनौतीशुदा आदेश को कोई अपील समय सीमा मे उसके द्वारा नही की गई अन्य

बनाई गई थी, जिसमें

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक दो–निगरानी/सिंगरोली/भू.रा./2018/1191

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19/6/18	आवेदकगण के अभिभाषक को निगरानी की ग्राह्यता पर सुना जा चुका है। आवेदकगण के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनावेदक ने तहसीलदार देवसर जिला सिंगरोली के प्रकरण कमांक 7 अ–27/15716 में पारित आदेश दिनांक 11–5–16 के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी देवसर के समक्ष अपील प्रस्तुत की तथा अपील मेमो के साथ अवधि विधान की धारा–5 का आवेदन दिया है। अनुविभागीय अधिकारी देवसर ने प्रकरण कमांक 156/16–17 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 18–1–18 से अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया है जिसके विरूद्व यह निगरानी है। 2/ आवेदक के अभिभाषक ने प्रारंभिक तर्को में व्यक्त किया कि तहसील न्यायालय में सामिलाती भूमियों का बटवारा हुआ है क्योंकि तहसीलदार ने सभी पक्षकारों को सूचना देते हुये, एंव इस्तहार का प्रकाशन कराकर हलका पटवारी से बटवारा पुल्ली मांगी है पटवारी ने मौके पर जाकर सभी पक्षकारों के सामने बटवारा पुल्ली तैयार की है , परन्तु अनावेदक ने झूँठा शपथ पत्र देकर अवधि विधान की धारा–5 का आवेदन दिया है जिस पर अनुविभागीय अधिकारी ने विश्वास करने में भूल की है इसलिये निगरानी सुनवाई में ली जावे, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख आने पर स्थिति स्पष्ट हो जावेगी। 3/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने	

एंव अनुविभागीय अधिकारी देवसर के अंतरिम आदेश दिनांक 18–1–18 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश में यह अंकित करते हुये अनावेदक का अवधि विधान की धारा–5 का आवेदन स्वीकार किया है :–

- अधीनस्थ न्यायालय के मूल प्रकरण का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण में अपीलार्थिया पक्षकर नहीं है और न ही अधीनस्थ न्यालय के आर्डरशीट व आदेश पत्रिका तथा पटवारी द्वारा प्रस्तुत बटनवारा पुल्ली में ही अपीलार्थिया के हस्ताक्षर बने है। उत्तरवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाव में अंकित प्रकरणों के संबंध में अगर अपीलार्थिया को जानकारी थी तो इस प्रकरण में वह विचारणीय नहीं है क्योंकि वह प्रकरण इससे संबंधित नहीं है यह प्रमाणित है कि अपीलार्थिया को अपीलाधीन आदेश की जानकारी पूर्व में नहीं थी *

यदि अनुविभागीय अधिकारी के उक्तानुसार निष्कर्ष के कम में विचार किया जाय –

परिसीमा अधिनियम , 1963 की धारा 5 में व्यवस्था दी गई है कि अपील फाइल करने में विलम्ब की माफी पर विचार किया जाना है और विलम्ब माफी का बाजिव कारण बताया गया है तब विलम्ब माफ कर देना चाहिये। मामला गुणागुण पर निराकरण के लिये विचार में लिया जाना चाहिये। अवधि विधान की धारा–5 सहपठित म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 47 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन के कारणों पर विचार करते हुये मामले में विधि का सारवान सिद्वांत अंतर्गस्त हो तब परिसीमा की तकनीक उस पर अभिभावी नहीं मानना चाहिये एंव ऐसे मामले में न्याय से इंकार नहीं करना चाहिये (A.I.R. 1987 S.C. 1353 से अनुसरित)

उपरोक्तानुक्रम में अनुविभागीय अधिकारी देवसर ने प्रकरण क्रमांक 156/16–17 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 18–1–18 उचित प्रतीत होता है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप का औचित्य न होने से इसी–स्तर पर अमान्य की जाती है।

सदस्य